20/5/24 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7/6/24 को पेश हो।

7/6/24 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/उभयपक्ष ... आसीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 8/7/24 को पेश हो।

8/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते जवाब T.I आवेदन दिनांक 2/8/24 को पेश हो।

2/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस T.I आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 447 रकबा 3.18 हे० वाके ग्राम ल्हा खारबोली तहसील (हाल) सीकर ग्रामीण में भवस्थित है। और प्रार्थीगण के कब्जे भारत की है। तथा वादीगण उम्र अभिभाषित पर बहैसियत खसेदार काश्तकार काबिज है। अप्रार्थीगण का उक्त अभिभाषित से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं होने के बावजूद भी अप्रार्थीगण लाठी बल पर अतिक्रमण कर अभिभाषित भूखण्ड को खुर्द-बुर्द करना चाहते है यदि वे अपने मनोउद्देश्य में कामयाब हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए उक्त अभिभाषित में उभयपक्ष की यथास्थिति मुकदमा के निस्तारण तक स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना अत्यावश्यक है।

वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस T.I आवेदन का जवाब पेश कर लिखी बहस का निवेदन किया विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 447 वाके ग्राम खारबोली में यथास्थिति पाया। मुकदमा के निस्तारण तक उभयपक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान वकील उभयपक्ष ने मुकदमा के निस्तारण तक उभयपक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की है। अतः माननीय न्यायालय आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT ACT स्वीकार किया जाना न्यायालय न्यायोचित समझता है।

अतः आवेदन अन्तर्गत धारा 212 RT ACT स्वीकार किया जाता है। वकील उभयपक्ष की सहमति के आधार पर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
उनवान :- आशीष सिंह बनाम ग्रा० सिंह भण्डि
मु० नं० — 315/2008 डा० पत्र

दिनांक	आज्ञा-पत्र	
	विवादित कृषि भूमि खसरा नम्बर 447 रकबा 3.18 हे० वाके ग्राम खारबोली हाल तहसील सीकर ग्रामीण में उभयपक्ष का तादौरान दावा / मुकदमा के निस्तारण तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर यह फैसला आज दिनांक 2/8/24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर	